[illegible] 120/22

क्र.सं.	दिनांक आदेश व कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
	18-1-23	उपरोक्त प्रकरण अ.प्र. [illegible] है। पत्रावली दिनांक 20/1/23 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible] जिला जयपुर
	20/1/23	क्र. [illegible] दिनांक [illegible] कुल प्र. [illegible] 23/1/23 [illegible] रीडर
	23/1/23	[illegible] पत्रावली [illegible] 31/1/23 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible]
	31/1/2023	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible]

यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

ाद संख्या :– 120/2022

शीर्षक

. बाबूलाल यादव पुत्र किशनलाल यादव जाति अहीर/यादव निवासी प्लाट नंबर 112 जनक मार्ग आफसिर्स कैम्पस सिरसी रोड जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. गुलाबी देवी पत्नी स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. गोपाल लाल पुत्र स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
4. श्रवण पुत्र श्री मुरली जाति कुम्हार (प्रजापति)

} समस्त वयस्क निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

5. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 03.02.2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 7731 रकबा 0.96 है0 भूमि वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है।

2. यह कि उक्त जिमन ने 1 में वर्णित भूमि के वादी हिस्सा 3/5 भाग एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 हिस्सा 2/5 भाग के खातदेार काश्तकार है । जो वादी से पूर्व वादी को विक्रेता एवं प्रतिवादीगण खातदेार सं 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्सानुसार राज में मांग के अनुसार जमा कराते आ रहे हैं ।

3. यह कि भूमि वादग्रस्त को अब शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 समय पर काश्त करने में सहयोग नहीं करते है, इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 को बार–बार कहा तो वे लोग नाराज हो गये तथा वादी को कहां कि हम तो हमारी मर्जी से ही कार्य करेगे वादी से वादी के कनिानसुार सहमति नहीं करेंगे। वादी स्वयं हम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 से सहमत नहीं होवे तो वह भूमि वादग्रस्त का स्वयं बंटवारा करा लेवे।

4.यह कि उक्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 ने बाहमी तौर पर अपासी सहमति से अर्सा माह पूर्व भूमि वादग्रस्त का बंटवारा करने का तय कर लिया है जिससे उतरी भाग वादी को तथा दक्षिणी भाग प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 को हिस्सा में लेने का तय कर लिया है।

5. यह कि पक्षकरान खातेदारान में तय रहा कि वादी स्वयं दावा करके वैधानिक बंटवारा करावे स्वयं वादी ही खर्चा करे, प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं देगे हस्ताक्षर आदि नहीं करेंगे वादी स्वयं ही राजस्व रिकार्ड में बंटवारा का अमल करावे । तथा ऐलानिया कहा कि प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 को बंटवारा समझ में नहीं आया तो अपनी मर्जी से काश्त करेंगे।

6. यह कि वादग्रस्त भूमि के उतरी व पश्चिमी तरफ वादी की स्वयं की खातदेारी भूमि है जिसके लगती हुई भूमि वादी को बंटवारा में वादी को वादग्रस्त भूमि का उतरी भाग वादी के हिस्सा में बंटवारा में देना तय रहा है।

7. यह कि भूमि वादग्रस्त का अब सहखातेदारान के साथ शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है जिसका बंटवारा कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

8. यह कि वादी को अधिकार है कि अपनी खातेदारी भूमि हिस्सा 3/5 भाग का प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 का हिस्सा 2/5 भाग से वैधानिक बंटवारा करावे बाद बंटवारा मुताबिक बंटवारा सीमा कायम करावे तथा अलग अलग खातदेार पक्षकारान कब्जा प्राप्त करें व लगान अलग –अलग कायम करावे।

9. यह कि प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 वादी के साथ सांजस्य से काश्त करने में सहयोग नहीं कर प्रतिवादीगण ने वादी को वैधानिक रूप में ऐलानिया धमकी दी है तथा काश्त में व्यवधान पैदा किया है इस कारण उन्हें बंटवारा उपरान्त वादी की बंटवारा शुदा भूमि पर किसी प्रकार की मदालखत बेजा नहीं करने के लिए स्थायी निषधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार प्राप्त है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि... ...पुर) राज

10. अन्त में निवेदन किया कि हाल ख0 नं0 7731 रकबा 0.96 है0 किस्म डहरी द्वितीय का विधिक बंटवारा किया जाकर वादी को उतरी हिस्सा 3/5 भूमि रकबा 0.5760 है0 भूमि पूर्व पश्चिम लंबाई में सीमा कर बंटवारा में कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लंगायत 4 को इस पूर्व पश्चिमी लंबाई की सीमा से दक्षिण की तरफ की 0.3840 है0 भूमि बंटवारा में दिलायी जाकर उन्हें कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को बंटवारा शुदा भूमि पर किसी प्रकार की मदालखत बेजा नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 20.12.2022 को दावा प्राथमिक डिकी जाकर तहसील शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी तहसीलदार शाहपुरा ने पत्रांक 55 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से श्री सुनिल शुक्ला अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश होने पर विधिवत सुनवायी की जाकर प्रतिवादीगण को बंटवारा रिपोर्ट पर सुनने की हद तक एवं अपना पक्ष रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

वकील प्रतिवादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की । बंटवारा रिपोर्ट बनाते समय मौके पर हमे नही बुलाया गया तथा बंटवारा रिपोर्ट नियमो के अनुसार नहीं तैयार की गयी है। इसलिए बंटवारा रिपोर्ट खारिज कर पुनः मंगवायी जावे । उभयपक्ष की बंटवारा रिपोर्ट आपत्ति पर बहस सुनी गयी बंटवारा रिपोर्ट उभयपक्ष की बहस के मनन पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट में विधिवत पक्षकारान को सूचना देना तथा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रतिवादी का पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज किया जाता है। एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल हाल ख0 नं0 7731 रकबा 0.96 है0 भूमि वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. बाबूलाल यादव पुत्र किशनलाल यादव जाति अहीर/यादव निवासी प्लाट नंबर 112 जनक मार्ग आफसिर्स कैम्पस सिरसी रोड जयपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7731/1 रकबा 0.5760 है0 भूमि रहेगी।

2. गुलाबी पत्नी भंवरा, गोपाल लाल , राजेन्द्र कुमार पुत्रान भंवरा हि0 1/2, श्रवण पुत्र मुरली हि0 1/2 कौम कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 7731/2 रकबा 0.3840 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट, पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 120 / 2022

शीर्षक

1. बाबूलाल यादव पुत्र किशनलाल यादव जाति अहीर / यादव निवासी प्लाट नंबर 112 जनक मार्ग आफसिर्स कैम्पस सिरसी रोड जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. गुलाबी देवी पत्नी स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. गोपाल लाल पुत्र स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 भंवरा जाति कुम्हार (प्रजापति)
4. श्रवण पुत्र श्री मुरली जाति कुम्हार (प्रजापति)

} समस्त वयस्क निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 03.02.2023

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल हाल ख0 नं0 7731 रकबा 0.96 है0 भूमि वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. बाबूलाल यादव पुत्र किशनलाल यादव जाति अहीर / यादव निवासी प्लाट नंबर 112 जनक मार्ग आफसिर्स कैम्पस सिरसी रोड जयपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7731 / 1 रकबा 0.5760 है0 भूमि रहेगी।
2. गुलाबी पत्नी भंवरा, गोपाल लाल , राजेन्द्र कुमार पुत्रान भंवरा हि0 1 / 2, श्रवण पुत्र मुरली हि0 1 / 2 कौम कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 7731 / 2 रकबा 0.3840 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	